1

अध्याय

1

अध्याय

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसका भारत लगभग प्रत्येक वर्ष विभिन्न भागों में सामना करता है। बाढ़ का बार बार आना समय तथा स्थान पर वर्षा में व्यापक अन्तर और नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता सहित विभिन्न कारकों के कारण हो सकता हैं। ये समस्याएं गाद जमने, नदी किनारों के क्षरण, भूस्खलनों, खराब प्राकृतिक जल निकास, हिम नदी झील टूट[1] आदि के कारण विशिष्टता पाती हैं। अत्यविस्थित विकास और बाढ़ मैदानी क्षेत्रों का अतिक्रमण, अनुचित योजना तथा सडकों, रेलवे लाइनों का निर्माण आदि भी बाढ़ हानियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

XI वी पचंवर्षीय योजना (2007-212) के बाढ़ नियंत्रण प्रबन्धन कार्यक्रम पर कार्यचालन ग्रुप के अनुसार देश में कुल बाढ़ सम्मावित क्षेत्र 45.64 मिलियन हैक्टेयर (मि है) था जो देश के कुल क्षेत्र का लगभग 14 प्रतिशत है। औसतन 7.55 मि है (कुल बाढ़ सम्मावित क्षेत्र का 16 प्रतिशत) प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है और बाढों के कारण औसत वार्षिक हानि ₹ 1805 करोड़[2] है।

योजना अवधि के गत पांच दशकों के दौरान समस्या के स्वरूप और स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न राज्यों द्वारा बाढ़ सुरक्षा/ अल्पीकरण की भिन्न विधियां अपनाई गई हैं। जलाशय तट बन्धों जल निकास सुधार, चैनल सुधार, जल विभाजक प्रबन्धन और बाढ़ जल का विपथन बाढ़ कम करने के कुछ संरचनात्मक उपाय हैं। संरचनात्मक उपायों के अतिरिक्त अन्य गैर संरचनात्मक उपाय जैसे बाढ़ पूर्वानुमान, आंशाकित बाढ़ के मामले में बाढ़ चेतावनी, फ्लड प्लेन जोनिंग[3] आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया भी न्यनहार में लाए जाते हैं।

---

1 हिम नदी झीलें तब बनती हैं जब हिम नदी बर्फ में जल अवरूद्ध हो जाता है। इन बर्फ बांधों की विफलता के कारण अचानक जल की बडी मात्राएं मुक्त हो जाती हैं जिसे हिम नदी झील टूट बाढ़ के रूप में जाना जाता है।

2 1980 में संकलित डाटा के आधार पर जिसका आज भी बेसलाइन होना जारी है।

3 फ्लड प्लेन जोनिंग उपायों का उददेश्य भिन्न मात्राओं अथवा बारम्बरताओं और सम्भावित स्तरों की बाढों द्वारा प्रभावित होने वाले जीनों अथवा क्षेत्रों का सीमांकन करना है और इन जोनों में स्वीकार्य विकासों के प्रकार का विशेष उल्लेख करता है ताकि जब कभी वास्तव में बाढ़ आती है तब हानि को कम किया जा सके यदि रोका ना जा सके।

1.2 बाढ़ प्रबन्धन हेतु संस्थागत ढांचा

बाढ़ नियंत्रण का विषय भारत के संविधान के अधीन तीन विधायी सूचियों में से किसी में शामिल नहीं किया गया है। तथापि जल निकास तथा तटबन्ध राज्य सूची में विशेष रूप से उल्लिखित दो उपाय हैं। उस रूप में राज्यों के अन्दर प्राथमिकता के अनुसार अपने स्वंय के संसाधनों से राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबन्धन योजनाओं की योजना बनाई जाती हैं, जांच की जाती है और लागू की जाती हैं।

संघ सरकार राज्यों को सहायता करती है जो स्वरूप में तकनीकी, परामर्शी, उत्प्रेरक तथा उन्नय होती है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय जल (एमओडब्ल्यूआर आरडीएण्डजीआर) संसाधनों के विकास तथा विनियमन के लिए नीति मार्ग निर्देश तथा कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय तकनीकी मार्ग निर्देश देता है और सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहु उददेश्य परियोजनाओं (मुख्य/ मध्यम) की संवीक्षा, निर्बाधन तथा निगरानी करता है। मंत्रालय बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्राज्यीय नदियों पर चेतावनी के लिए केन्द्रीय नेटवर्क के प्रचार विशेष मामलों में कुछ राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान और गंगा तथा बृहमपुत्र के लिए बाढ़ नियंत्रण मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

बाढ़ प्रबन्धन हेतु दो स्तरीय संस्थागत ढांचा है जैसा नीचे चार्ट 1.1 में उदाहरण दिया गया है।

चार्ट 1.1 बाढ़ प्रबन्धन हेतु दो स्तरीय सांस्थानिक ढांचा

केन्द्र सरकार	• केन्द्रीय जल आयोग • गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग • बृहमपुत्र बोर्ड • राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
राज्य सरकार	• राज्य तकनीकी सलाहकार समिति • राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड • जल संसाधन विभाग • सिंचाई विभाग • लोक निर्माण विभाग

संस्थाओं की भूमिका, कार्य तथा क्षेत्राधिकार अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णित हैं।

1.2.1 केन्द्रीय सरकार

केन्द्र सरकार के व्यापक दग में बाढ़ समस्याओं का समाधान करने में राज्य सरकारों को समर्थ करने के लिए निम्नलिखित संगठन हैः

1.2.1.1 केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर का एक सर्वोच्च कार्यालय लाभ उपयोगों, सिचाई तथा जल विघुत उत्पादन, बाढ़ प्रबन्धन और नदी संरक्षण के क्षेत्रों में सम्पूर्ण दे में बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधनों के संरक्षण तथा उपयोग के उपायों को आगे बढाने तथा उन्नत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिखर संगठन है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों का लोगों को ले जाने सहित उचित प्रशासनिक उपायों की योजना के लिए बाढ़ डाटा के वास्तविक समय संग्रहण, बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ पूर्वानुमानों के प्रचार में सीडब्ल्यूसी प्रत्यक्ष रूप से निभाता है।

1.2.1.2 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) बिहार, छत्तीसगढ, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल जैसे गंगा बेसिन राज्यों को विभिन्न बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन मूल्यांकन और तकनीकी मार्ग निर्देश सहित गंगा बेसिन में नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबन्धन हेतु व्यापक योजना तैयार करने के लिए 1972 में भारत सरकार (सीऔआई) द्वारा स्थापित किया गया था।

1.2.1.3 बृहमपुत्र बोर्ड

बृहमपुत्र बोर्ड (बीबी) बृहमपुत्र में बाढ़ तथा किनारा क्षरण के नियंत्रण के उपायों की योजना तथा समान्वित कार्यान्वयन के उददेश्य के साथ संसद के अधिनियम द्वारा 1980 में गठित साविधिक निकाय है। बोर्ड का क्षेत्राधिकार अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा बृहमपुत्र घाटी के अन्दर आने वाले पश्चिम बंगाल के भाग को शामिल करता है।

1.2.1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

भारत सरकार (जीओआई) ने भारत में आपदा प्रबन्धन के लिए होलिस्टिक तथा समान्वित अभिगम लागू करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की। एनडीएमए आपदाओं के लिए सामायिक तथा प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन हेतु नितियां, योजनाएं तथा मार्ग निर्देश निर्धारित करने को अधिदोशित है।

1.2.2 राज्य सरकार

राज्य स्तर तन्त्र जल संसाधन विभागों, राज्य तकनीकी सलाहकार समितियां (एसटीएसी) और बाढ़ नियंत्रण बोर्डों, सिंचाई विभागों तथा लोक निर्माण विभागों को शामिल करता है। राज्यों से सभी बाढ़ कार्यों की जांच करने. योजना बनाने, निर्माण करने, रखरखाव करने और प्रचालन करने की अपेक्षा की जाती है। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड राज्यों में बाढ़ समस्या का निर्धारण करते हैं, नीति के प्रश्न पर कार्यवाई करते हैं और बाढ़ योजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं।

1.3 बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबन्धन योजनाएं

XI वी (2007-2012) तथा XII की (2012-2017) पंचवर्षीय योजनाओं (एफवाईजीज) के दौरान जीओआई ने दो प्रमुख योजनाएं तथा बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम तथा बाढ़ नियंत्रण और प्रबन्धन के लिए बाढ़ पूर्वानुमान योजना आरम्भ कीं।

1.3.1 बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम

असम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 2004 की अभूतपूर्व बाढों जिनके परिणाम स्वरूप भारी जन तथा धन कि हानि होने के कारण एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर द्वारा बाढ़ प्रबन्धन का एक कार्यबल गठित किया गया था। कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर (दिसम्बर 2004) बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (एफएमजी) तैयार किया गया था।

XI एफवाईजी (2007-2012) में ₹ 8000 करोड़ की केन्द्रीय सहायता से नवम्बर 2007 में केबिनेट द्वारा योजना संस्वीकृत की गई थी। इसके अलावा (i) नदी प्रबन्धन, (ii) बाढ़ नियंत्रण, (iii) शरण रोधी, (iv) जल निकास विकास आदि से सम्बन्धित कार्य करने के लिए XII एफवाईसी (2012-2017) के लिए अक्टूबर 2012 में ₹ 10000 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई थी। योजना के मार्गनिर्देश दिसम्बर 2007 में बना और XI वीं योजना के लिए अगस्त 2009 में तथा XII वीं याजना के लिए अक्तूबर 2013 में बाढ़ में संशोधित किए गए थे। XI तथा XII वीं योजनाओं के दौरान मार्च 2016 तक एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर द्वारा ₹ 4723.08 करोड़ जारी किया गया था।

1.3.2 बाढ़ पूर्वानुमान

बाढ़ पूर्वानुमान एक गैर संरचनात्मक उपाय है और बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों को अग्रिम चोतावनी देने के द्वारा बाढ़ प्रबन्धन के लिए एक प्रभावी औजार के रूप में माना गया है। पूर्वानुमान का निकपण पूर्वानुमान स्टेशन तथा बेस स्टेशन के बीच वास्तविक समय डाटा संचार नेटवर्क के प्रभावी साधनों की अपेक्षा करता है।

जून 2008 तक सीडब्ल्यूजी माप, बहाव, तलघट तथा जल गुणवत्ता अवलोकनों के लिए 20 नदी घाटियों को कवर कर सम्पूर्ण देश में 878 हाइड्रोलाजीकल तथा हाइड्रो-मीट्रोलॉजिकल स्थलों का प्रचालन कर रहा था इसके अलावा सीडब्ल्यूजी ने देश में 175 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का भी प्रचालन किया 1x1 एफवाईजी के लिए बाढ़ पूर्वानुमान योजना के संबंध में ₹ 130 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 103 करोड़ का व्यय किया गया था। xii योजना का परिव्यय ₹ 281 करोड़ था जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 114.09 करोड़ व्यय किया गया था।

1.4 बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं।

जीओआई ने बाढ़ नियंत्रण के लिए अन्य छोटी परियोजनाएं यथा बाध सुरक्षा अध्ययन तथा योजना; और नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमएबीए) लागू की।

1.4.1 बांध सुरक्षा

एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना नामतः "बांध सुरक्षा अध्ययन तथा योजना" ₹ 10 करोड़ के कुल प्रावधान, जो कि ₹ छः करोड़ तक संशोधित किया गया था, से XI वीं योजना के दौरान लागू की गई थी। XI वीं योजना के दौरान ₹ 4.22 करोड़ का व्यय किया गया था। बाँध सुरक्षा अध्ययन तथा योजना की योजना XII वीं योजना के दौरान बाँध सुधार तथा उन्नति परियोजना (डीआरआईपी)[4] में समाहित की गई थी।

बाँध विफलता की संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) (मार्च 2011) के अनुसार राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के माध्यम से एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर ने प्रत्येक राज्य को अपने प्रत्येक बड़े बांध के लिए आपातकालीन कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा। तदनुसार सीडब्ल्यूसी ने मई 2006 में "बांधों के ईएपी का विकास तथा कार्यान्वयन" के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए और इनको लागू करने के लिए सभी राज्यों को इन्हें परिचालित किया।

1.4.2 नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबधित कार्य

नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य (आरएमएबीए) XI। एफवाईपी के दौरान एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर की चालू केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जो पड़ोसी राज्यों नामतः नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन तथा पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्रों से संबंधित कुछ

[4] सीडब्ल्यूसी में कार्यान्वियत की जा रहा केन्द्रीय संघटक के साथ एक राज्य क्षेत्र योजना। डीआरआईपी में 223 वर्तमान बांधों का सुधार और केरल, मध्यप्रदेश, ओडिशा तथा तमिलनाडु राज्यों में बाँध सुरक्षा सांस्थानिक सुदृढीकरण परिकल्पित किया गया। परियोजना निरीक्षण और डीआरआईपी के समन्वय का संपूर्ण उत्तरदायित्व सीडबल्यूसी के बाँध सुरक्षा संगठन (डीएसओ) के बाँध सुरक्षा पुनर्वास निदेशालय का था।

नए कार्यों के साथ X एफवाईपी के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रचालित छोटी-छोटी योजनाओं को समन्वित कर तत्कालीन योजना आयोग की सलाह पर X। एफवाईपी में पुनर्गठित की गई थी। X।। वीं योजना के दौरान X। एफवाईपी के दौरान एफएमपी के अन्तर्गत वित्पोषित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को अनुदान सहायता का घटक भी वर्तमान योजना में लाया गया था।

योजना X। एफवाईपी के दौरान ₹ 820 करोड़ और X।। एफवाईपी के दौरान ₹ 740 करोड़ से अनुमोदित की गई थी। X। तथा X।। एफवाईपी को दौरान (मार्च 2016 तक) खर्च क्रमशः ₹ 721.14 करोड़ तथा ₹ 339.89 करोड़ था।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबंधन की अपनी स्वयं के कार्यक्रम/योजनाएं लागू की जो उनके द्वारा वित्तपोषित थीं।

1.5 हमने इस विषय को क्यों चुना

भारत बाढ़ों से अतिसंवेदनशील है। 329 मि. है. के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मि. है. से अधिक बाढ़ संभावित है। बाढ़ आवर्ती घटनाएं हैं जो जीवन की विशाल हानि और आजीविका प्रणालियों, सम्पति अवसंरचना तथा जनोपयोगी वस्तुओं को क्षति पहुँचाती हैं। औसतन प्रतिवर्ष 7.55 मिलियन हैक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, 1560 जीवन समाप्त हो जाते हैं और बाढ़ के कारण फसलों, मकानों तथा जनोपयोगी वस्तुओं को क्षति ₹ 1805 करोड़ अनुमानित की गई है। इस प्रकार बाढ़ों का उचित प्रबंधन राष्ट्रीय विकास कार्यकलापों में एक महत्वपूर्ण घटक बनता है। बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबंधन योजनाओं में विशाल परिव्यय, विगत में बार-बार बाढ़ और विषय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर हमने बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ पूर्वानुमान की योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया।

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

भारत में बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ पूर्वानुमान की योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह जांच करना थे कि क्याः

i) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम का प्रबंधन, के क्रियान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन बाढ़ नियंत्रित करने में कुशल तथा प्रभावी था;

ii) वास्तविक समय डाटा के प्रसार के लिए बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना पर्याप्त थी;

iii) अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन, नामतः "नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों" और "बांध सुरक्षा अध्ययन और योजना" के क्रियान्वयन की योजना कुशल तथा प्रभावी थी; और

iv) बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा तथा निरीक्षण तंत्र बाढ़ के प्रबंधन में प्रभावी थे।

1.7 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

हमने भारत में बाढ़ का विहंगावलोकन प्राप्त करने के उद्देश्य से X। तथा X।। एफवाईपी अवसंरचना अर्थात अप्रैल 2007 से मार्च 2016 तक के दौरान एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डआर द्वारा संस्वीकृत परियोजना की समीक्षा की। एक योजना अवधि से दूसरी तक परियोजनाओं का स्पिलओवर हुआ था; इसलिए दोनों एफवाईपी अवधियों को शामिल करना आवश्यक था।

हमने योजनाओ, यथा, एफएमपी; बाढ़ पूर्वानुमान; नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों; और बाँध सुरक्षा अध्ययन और योजना को कवर किया। डीआरआईपी परियोजना, जो X।। वीं योजना के दौरान आरंभ की गई थी, अनेक बांध सुरक्षा पहलुओं को शामिल करती है, तथापि इस लेखापरीक्षा में केवल बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना की तैयारी का पहलू शामिल किया गया था।

17 मार्च 2016 को एन्ट्री कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर को स्पष्ट किए गए थे। लेखापरीक्षा अप्रैल-अगस्त 2016 के दौरान एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डआर, सीडब्ल्यूसी, जीएफसीसी, बीबी तथा राज्य सरकारो की कार्यान्वयक एजेंसियों में अभिलेखों की समीक्षा द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर 19 दिसम्बर 2016 को मंत्रालय तथा सम्बन्धित एजेंसियों के साथ चर्चा की गई थी। चर्चा के दौरान मंत्रालय की प्रतिक्रिया सुसंगत अध्यायों में इस प्रतिवेदन में सम्मलित की गई हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ सिफारशों पर मंत्रालय द्वारा भेजी गई टिप्पणियां **अनुबंध-I** के रुप में दी गई है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिचयन

X। तथा X।। एफवाईपी के दौरान 517 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं और एफएमपी के अंतर्गत 25 राज्यों को निधियां जारी की गई थीं। हमने लेखापरीक्षा के लिए 480 अनुमोदित परियोजनाओं 17 राज्यों/यूटी का चयन किया जिनमें शक्ति सम्पन्न समिति[5] अन्तर मंत्रालयीन समिति (ईसी/आईएमसी) द्वारा ₹ 50 करोड़ से अधिक की कुल परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

विभिन्न बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के संबंध में प्रयुक्त प्रतिचयन कार्यप्रणाली निम्नवत थीः

[5] शक्ति सम्पन्न समिति X। वीं योजना के दौरान एफएमपी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकरण है और इसकी अध्यक्षता सचिव (व्यय) करता है और इसमें सचिव, एमओडब्ल्यूआर आरडीएण्डजीआर तथा अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी शामिल होते हैं। अंतर मंत्रालय समिति X।। वीं योजना के दौरान एफएमपी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकरण है और इसकी अध्यक्षता सचिव, एमओडब्ल्यूआर आरडीएण्डजीआर करता है और इसमें सदस्य (आरएम) सीडब्ल्यूसी, अध्यक्ष, जीएफसीसी, अध्यक्ष बीबी तथा सलाहकार योजना आयोग शामिल होते हैं।

क. हमने 31 मार्च 2016 तक एफएमपी के अन्तर्गत ईसी/आईएमसी द्वारा अनुमोदित 50 प्रतिशत परियोजनाओं अधिकतम 30 परियोजनाओं के अध्यधीन की जांच की। पाँच अथवा कम संस्वीकृत परियोजनाओं वाले राज्यों में लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु सभी परियोजनाओं का चयन किया गया। संयुक्त स्थान दौरे के लिए हमने 47 परियोजनाओं का चयन किया।

ख. हमने फाइल जाँच के लिए 25 प्रतिशत लेवल बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों[6] और 50 प्रतिशत अन्तर्वाह बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों[7] (अधिकतम दो) चयनित मंडलों के अन्तर्गत का चयन किया। हमने संयुक्त स्थान दौरों के लिए 17 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का चयन किया।

ग. 2007-08 से 2015-16 तक के दौरान राज्यों में बडे बांधों की आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) की फाइलों की जाँच का नमूना आकार 10 प्रतिशत और संयुक्त स्थान दौरों के लिए 54 बाँध था।

राज्यवार नमूनों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

मंत्रालय के पास परियोजनाओं के पूर्ण ब्यौरे नहीं थे। 206 एफएमपी चयनित परियोजनाओं में से मंत्रालय ने केवल 136 परियोजनाओं के अभिलेख प्रस्तुत किए। इन 136 फाइलों में भी परियोजनाओं ने पूर्ण ब्यौरे नहीं थे। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई फाइलों की सूची **अनुबंध-III** में दी गई है।

1.9 आभार

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण पर जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारी विभागों द्वारा दिए गए सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं।

[6] लेवल पूर्वानुमान लोगों के रिक्तीकरण और लोगो और उनकी चल सम्पत्ति को सुरक्षित स्थानों को स्थानान्तरित करने जैसे अल्पीकरण उपाय निश्चित करने में प्रयोक्ता एजेंसियों की सहायता करते हैं।

[7] अन्तर्वाह पूर्वानुमान बाढ़ अनुप्रवाह के सुरक्षित पारगमन के लिए जलाशयों के इष्टतम प्रचालनों में तथा गैर मानसून अवधि के दौरान मांग पूरी करने के लिए जलाशय में पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बाँध प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है।